मु.नं. 489/347/07 हनुमान बनाम रामेश्वर व अन्य
वाद

27/8/19 वकील वादी उप0/ गवाह हनुमान के साक्ष्य शपथ पत्र का सत्यापन करवाया गया/ शेष साक्ष्य हेतु समय चाहते है पुन: न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है आगामी पेशी पर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी स्वत: ही बंद मानी जावेगी/ पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य वादी दिनांक 17/9/19 को पेश हो/

अं.नि. हनुमान

17/9/19 प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15/10/19 को पेश हो।

15/10/19 प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15/11/19 को पेश हो।

मूलचन्द

15/11/19 वकील वादी उप0/ गवाह मूलचंद व रामकरण रामलाल के शपथ पत्र साक्ष्य के पेश हुए/ वादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है साक्ष्य वादी बंद की जाती है पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 26/11/19 को पेश हो/

26/11/19 वकील वादी उप0/ बहस सुनी गई/ पत्रावली वास्ते अवलोकन/ आदेश दिनांक 29/11/19 को पेश हो/

29/11/19 वकीलों द्वारा आज कण्डोलैंस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली मय आज्ञानुसार दिनांक 06/12/19 को पेश हो।

06/12/19 वकील वादी उप0/ पत्रावली का अवलोकन किया गया/ बहस पर मनन किया गया/ वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आदेश किया गया/ डिक्री जारी हो/ पत्रावली के सलेक्शन बाद दाखिल दफ्तर हो/

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:47:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–489 / 347 / 2007

उनवान

1. हनुमान पुत्र नाथ्या उर्फ नाथूराम जाति नायक, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू जिला जयपुर (राज.)

–वादी

बनाम

1. रामेश्वर } पुत्रान दुलाराम
2. सीताराम }
3. राकेश }
4. अशोक } पिता रामेश्वर
5. पप्पी }
6. मोहनी पत्नी रामेश्वर
7. सन्तोष पत्नी सीताराम
   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :–06.12.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर का रहने वाला है तथा काश्तकार पेशा व्यक्ति है। जो काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वाके ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित खुद काश्त की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 508 रकबा 0.50 हैक्ट0 किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 522 / 1990 रकबा 0.20 हैक्ट0 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 523 रकबा 0.01 हैक्ट0 किस्म गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.03 हैक्ट0 किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 525 रकबा 1.11 हैक्ट0 किस्म बरानी 2 कुल किता का कुल रकबा 1.85 हैक्ट0 भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी उत्तरमुखी पुख्ता मकान बनाकर अपने परिवार एवं मवेशियों सहित निवास कर रहा है एवं चाह खसरा नम्बर 523 में अपने नाम से कृषि विद्युत कनेक्शन लेकर उक्त आराजी में सिंचाई से काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहा है तथा समय पर लगान सरकार को अदा कर रहा है। प्रतिवादीगण का वादी की उक्त आराजी से कोई लेना–देना संबंध सरोकार नहीं [illegible] मात्र काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 [illegible] तथा भूमाफिया गिरोह के सदस्य है, जिन्होंने एक नाजायज [illegible] कमजोर गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करने का [illegible] अकारण रंजिश रखते है और वादी की काश्त खातेदारी भूमि जो कस्बा गोविन्दगढ [illegible] लगती हुई बेशकीमती भूमि है, उस पर जबरन लाठी के बल पर कब्जा कर लेना [illegible] हैं तथा वादी को मौके से बेदखल कर जबरन कब्जा कर लेना चाहते है। प्रार्थी वादी की गैर मौजूदगी में घर पर आकर घर, खेत में कृषि कार्य कर रही महिलाओं एवं बच्चों को आंतकित करते है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:47:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

ऐलानियां धमकी दे रहे है कि उक्त आराजी हमे आने पोने दामों में देकर चले जाओ वरना कभी भी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। वादी की ओर गैर मौजूदगी में प्रतिवादीगण दिनांक 29.10.2007 को कुछ बाहरी अजनबी व्यक्तियों को लेकर आये तथा आते ही प्रार्थी वादी की पत्नी, बच्चों को गाली–गलौच करते हुए आंतकित करने लगे की अब की बार आपको अंतिम बार चेतावनी दे रहे है, ये काश्त की भूमि तथा इसमें बना पुख्ता मकान खाली कर भाग जाओ वरना तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे तथा तोडफोड कर मकान से बाहर निकाल देंगे।

वादी उक्त आराजी का काबिज रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है तथा वादी को हक अधिकार हांसिल है कि वह प्रतिवादीगण की आये दिन दी जाने वाली धमकियों से प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाये तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये। यदि प्रतिवादीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो वादी के साम्पत्कि अधिकारों पर सीधा कुठाराघात होगा तथा जिसकी पूर्ति भविष्य में रूपयों में किया जाना संभव नहीं होगा। वादी उक्त भूमि का खातेदार है तथा पुख्ता मकानात बनाकर उक्त भूमि में निवास कर रहा है तथा प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से लेना–देना बिल्कुल नहीं है। प्रतिवादीगण गैर कानूनी रूप से अपने मददगारों के सहयोग वादी को अकेला असहाय देखकर परेशान कर रहा है, आये दिन फसल की बुवाई जुताई में दखलअन्दाजी कर रहे हैं। मौके पर वादी उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। ऐसे में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु वादी के पक्ष में बखूबी साबित है। वादी को वाद कारण दिनांक 29.10.2007 को प्रतिवादीगण द्वारा बाहरी अजनबी गिरोह के लोगों को साथ लेकर आने तथा मौके पर तोडफोड करने की धमकी दिये जाने से उदित होकर निरन्तर जारी होने से वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है।

वाद पत्र में वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 508 रकबा 0.50 हैक्ट0 किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 522/1990 रकबा 0.20 हैक्ट0 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 523 रकबा 0.01 हैक्ट0 किस्म गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.03 हैक्ट0 किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 525 रकबा 1.11 हैक्ट0 किस्म बरानी 2 कुल किता का कुल रकबा 1.85 हैक्ट0 भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित वादी के उपयोग–उपभोग, काश्त, बुवाई–जुताई–कटाई, सिंचाई में किसी प्रकार की मजाहमत, मदखलास, दखलअन्दाजी नहीं करें। उक्त काश्त भूमि में बने पुख्ता मकान में वादी के निवास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। वादी के प्राकृतिक पैदावार में कोई नुकसान कारित नहीं करें। वादी की भूमि में जबरन प्रवेश नहीं करें। ना उक्त कृत्य प्रतिवादीगण स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या अन्य से करवाये तथा मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

वाद पेश होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 जमाबन्दी खाता संख्या 384 संवत् 2059–62, [illegible] बिल माह अगस्त, 2007, प्रदर्श–3 बिजली बिल माह अगस्त 2005, [illegible]–4 बिजली बिल माह अगस्त 2008, प्रदर्श–5 बिजली बिल माह [illegible] 2010, प्रदर्श–6 बिजली बिल माह अक्टूबर 2004, प्रदर्श–7 बिजली बिल माह [illegible] मौखिक साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र स्वयं वादी हनुमान व मूलचंद, रामपाल के पेश किये गये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:47:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वकील वादी की बहस सुनी गई जिसमें मुख्य रूप से अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराया व वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज मूल जमाबन्दी विवादित खसरा नम्बर 522/1990, 524, 525, 508, 523 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.85 हैक्टेयर के अनुसार वादी हनुमान पुत्र नाथ्या जाति नायक की खातेदारी भूमि है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 508 रकबा 0.50 हैक्ट0 किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 522/1990 रकबा 0.20 हैक्ट0 किस्म गै. मु. रास्ता, खसरा नम्बर 523 रकबा 0.01 हैक्ट0 किस्म गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.03 हैक्ट0 किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 525 रकबा 1.11 हैक्ट0 किस्म बरानी 2 कुल किता का कुल रकबा 1.85 हैक्ट0 भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित भूमि में वादी के उपयोग–उपभोग में दखलअन्दाजी नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:47:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–489 / 347 / 2007

उनवान

1. हनुमान पुत्र नाथ्या उर्फ नाथूराम जाति नायक, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू जिला जयपुर (राज.)

–वादी

<u>बनाम</u>

1. रामेश्वर } पुत्रान दुलाराम
2. सीताराम }
3. राकेश } पिता रामेश्वर
4. अशोक }
5. पप्पी }
6. मोहनी पत्नी रामेश्वर
7. सन्तोष पत्नी सीताराम
   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा</u>

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 508 रकबा 0.50 हैक्ट0 किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 522 / 1990 रकबा 0.20 हैक्ट0 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 523 रकबा 0.01 हैक्ट0 किस्म गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.03 हैक्ट0 किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 525 रकबा 1.11 हैक्ट0 किस्म बरानी 2 कुल किता का कुल रकबा 1.85 हैक्ट0 भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित भूमि में वादी के उपयोग–उपभोग में दखलअन्दाजी नहीं करें।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख [illegible]2.2019 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:47:55 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

दस्तखत .... सहायक कलक्टर

ओहदा........... चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–489 / 347 / 2007
उनवान– हनुमान बनाम रामेश्वर वगै.
निर्णय दिनांक– 06.12.2019

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:47:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2020.02.05 13:43:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: